

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/220406/GZB/GHAZIABAD/11915/CFO

दिनांक: 29-09-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **KONARK PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **BLOCK-A SHALIMAR GARDEN, SAHIBABAD, GHAZIABAD** तहसील - **GHAZIABAD**, प्लॉट एरिया **3678.94 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **2084.14** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
KONARK PUBLIC SCHOOL	3	0	9.14 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **KONARK PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **09-10-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **NEERAJ SHARMA** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **12-10-2026** से **11-10-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **KONARK PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **KONARK PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : अग्निशमन द्वितीय अधिकारी द्वारा प्रेषित स्थलीय भौतिक निरीक्षण संस्तुति आख्या के आधार पर शासनादेश संख्या:18/छ:पु0-8-2022/905 (34)/ 2016/टी0सी0 दिनांक:07.01.2022 उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 नियमावली-2024 अनुसार निम्न उपबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है, 1-फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अहं एजेंसी से कराया जाय। 2-विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 3- भवन में प्रत्येक 03 माह की अवधि में निरन्तर माँक ड्रिल कराया जाना एवं निकास मार्गों को सदैव अवरोध मुक्त रखा जायेगा। 4- भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(SAURABH KUMAR SINGH)

[622FD716ADE0F04349B33FDD44DAAED0F7A50A80]

12-10-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 12-10-2026
स्थान : GHAZIABAD

Attested

[Signature]

Manager
Konark Public School

[Signature]

PRINCIPAL
KONARK PUBLIC SR. SEC. SCHOOL
Block-A, Shalimar Garden Main, Sahibabad
Ghaziabad